दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)608/P/Vol.IV

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 17-09-2014

आर बी ई सं/RBE No. 97 / 2014 **पी बी सी सं/ PBC No: 146 / 2014**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Inserting a general provision in IREM for diversion of unfilled vacancies to LDCE / GDCE or DR quota.

******

A copy of Railway Board's letter No.E(NG)I-2010 /PM1/16 dt.10-09-2014 (RBE No. 97/2014) alongwith a copy of Advance Correction Slip No. 227 to IREM-Vol.1, 1989 (First Reprint Edition 2009) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGER'S OFFICE
15 SEP 2014
दक्षिण रेलवे / Southern Railway
चेन्नै / Chennai-600 003

RBE No.97/2014

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2010/PM1/16 **New Delhi, dated 10.09.2014**

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs,
(as per standard list)

Sub : Inserting a general provison in IREM for diversion of unfilled vacancies to LDCE/GDCE or DR quota.

For the last couple of years, this Ministry has been receiving references from Railways to divert unfilled departmental vacancies to direct recruitment on the premise that either interested volunteers are not available or they do not fulfil educational or any other criteria.

2. Existing instructions, for a few categories, provide for adding promotion quota vacancies to Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) and unfilled LDCE vacancies to direct recruitment.

3. The matter has accordingly been considered and it has been decided that wherever the vacancies remain unfilled in Promotion Quota, the same may be carried forward to LDCE/GDCE, if any, and unfilled vacancies of LDCE/GDCE may be carried forward to direct recruitment quota to next year/next selection. In case there is no LDCE/GDCE for that post, the unfilled vacancies may be diverted to direct recruitment quota of the upcoming year.

4. A new para bearing number 229 is accordingly inserted in the Indian Railways Establishment Manual, Vol-I, 1989 (First Reprint Edition 2009) as reflected in the ACS No. 227 enclosed.

Please acknowledge receipt of this letter.

(Amita Bhalla)
Deputy Director-II E(NG)I
Railway Board.

Indian Railways Establishment Manual, Vol-I, 1989 (First Reprint Edition 2009)
Advance Correction Slip No. 227

Chapter II, Section 'B' containing rules governing promotion of Group 'C' Staff

Para 229 : Diversion of unfilled vacancies to LDCE/GDCE or DR Quota.

wherever the vacancies remain unfilled in Promotion Quota, the same may be carried forward to LDCE/GDCE, if any, and unfilled vacancies of LDCE/GDCE may be carried forward to direct recruitment quota to next year/next selection. In case there is no LDCE/GDCE for that post, the unfilled vacancies may be diverted to direct recruitment quota of the upcoming year.

(Authority : Board's letter No.E(NG)I-2010/PM1/16 dated 10.09.2014)

आर बी ई सं. /2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2010/पीएम1/16

नई दिल्ली, दिनांक: 10.09.2014

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अथवा सीधी भर्ती कोटा से संबंधित न भरी गई रिक्तियों के डायवर्जन के लिए भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली में सामान्य प्रावधान का अंतर्वेशन.

पिछले दो वर्षों से इस मंत्रालय में रेलों से संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि न भरी गई विभागीय रिक्तियों को इस आधार पर सीधी भर्ती कोटे में डायवर्ट किया जाए कि या तो इच्छुक वालंटियर उपलब्ध नहीं हैं अथवा वे शैक्षणिक या कोई अन्य मानदंड पूरा नहीं करते हों.

2. मौजूदा अनुदेशों में कुछ कोटियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) को पदोन्नति कोटे की रिक्तियों से तथा न भरी गई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा रिक्तियों को सीधी भर्ती से जोड़ने की व्यवस्था है.

3. तदनुसार मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं पदोन्नति कोटा में रिक्तियां खाली रह जाती हैं उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यदि कोई हो, तथा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की न भरी गई रिक्तियों को अगले वर्ष/अगले चयन के लिए सीधी भर्ती कोटा में ले जाया जा सकता है. यदि उस पद के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती है, तो न भरी गई रिक्तियों को आगामी वर्ष के सीधी भर्ती कोटा में डायवर्ट कर दिया जाए.

4. तदनुसार, भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली, जिल्द-I,1989 (प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009) में नया पैरा 229 शामिल किया गया है जो संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.227 में दिया गया है.

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(अमिता मल्ला)
उप निदेशक-II, स्था(अराज.)I
रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, 1989 (प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण -2009)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 227

अध्याय- II, खंड "ख", जिसमें ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पदोन्नति को शामिल करने वाले नियम दिए गए हैं.

पैरा 229: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाअथवा सीधी भर्ती कोटा से संबंधित न भरी गई रिक्तियों का अपवर्जन.

जहां कहीं पदोन्नति कोटा में रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यदि कोई हो, तथा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की खाली रिक्तियों को अगले वर्ष/अगले चयन के लिए सीधी भर्ती कोटा में ले जाया जा सकता है. यदि उस पद के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा/सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती है, तो खाली रिक्तियों को आगामी वर्ष के सीधी भर्ती कोटा में डायवर्ट कर दिया जाए.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(एनजी)I-2010/पीएम1/16 दिनांक 0.09.2014)

******